कार्यालय असि0रजिस्ट्रा फर्म्स एवं संस्थाऐं ,भोपाल नर्मदापुर संभाग
डी ब्लाक पुराना सचिवालय भोपाल

क्रमांक/संशोधन/ 15/16 भोपाल दिनांक 01-04-16

प्रति

अध्यक्ष/सचिव ,
मध्यप्रदेश सिचाई विभाग स्पोर्टस क्लब ,भोपाल ,
प्रमुख अभियंता कार्यालय सिंचाई विभाग बस स्टाप क्र0 7,
1464 शिवाजी नगर भोपाल जिला भोपाल म0प्र0 ।,

विषयः—संस्था मध्यप्रदेश सिचाई विभाग स्पोर्टस क्लब ,भोपाल पंजीयन क्रमांक 20854 दिनांक 21.10.1988 के ज्ञापन विधान में संशोधन बावत ।

संदर्भः—संस्था की ओर से प्राप्त संशोधन प्रस्ताव दिनोंक 05.01.2016 !

—0—

संस्था मध्यप्रदेश सिचाई विभाग स्पोर्टस क्लब ,भोपाल ,पंजीयन क्रमांक 20854 दिनांक 21.10.1988 पर पंजीयत हैं जिस पर वर्तमान में उपरोक्त अधिनियम के समस्त प्रावधान प्रभावशील हैं । उक्त संस्था की ओर से संदर्भित पत्र के साथ पजीकृत विधान में संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं । अतः उपरोक्त प्राप्त संशोधन प्रस्ताव का मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1973 की धारा 10 के अधीन आज दिनांक 01.04.2016 को पंजीकृत किया जाता हैं ।

(मंगला पुरकाम)
असि0रजिस्ट्रार ,
फर्म्स एवं संस्थाऐं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग

45/16
02/4/16

२०८५४

रजिस्ट्रेशन की दिनांक २1-10-1988

डेट ऑफ फाईलिंग 01-04-2016

प्रारूप क्रमांक 1 संशोधित ज्ञापन पत्र

समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन पत्र

नियम –3

रजिस्ट्रार

1. समिति का नाम : मध्यप्रदेश सिंचाई विभाग स्पोटर्स क्लब भोपाल
2. समिति का कार्यालय : प्रमुख अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग तहसील हजूर, पुराना नर्मदा भवन, तुलसी नगर भोपाल
3. जिला भोपाल 462016 में स्थित होगा।

समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होगे :–

1. मध्यप्रदेश सिंचाई विभाग के अंतर्गत समस्त प्रकार के खेलकूद को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देना।
2. विभाग में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।
3. खेल प्रतिभाओं/कलाकारों को यथोचित संरक्षण प्रदान करना।
4. सिंचाई विभाग अन्तर या राज्य स्तरीय अन्तर विभागीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन।
4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यो का प्रबंध शासक परिषद ,संचालकों, सभा या शासी –निकाय को सौंपा गया है जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित है :–

क्र.	नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	श्री निसार अहमद	अध्यक्ष	45, लाला लाजपत राय कालोनी, दिलकुशा बाग भोपाल	शासकीय सेवा
2	श्री सत्येन्द्र कुमार दीक्षित	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	मकान नं. 35, रवि शंकर शुक्ला मार्केट के ऊपर भोपाल	शासकीय सेवा
3	श्री प्रकाश यादव	उपाध्यक्ष	द्वारा दीपक लाहोरे, 11/1, राम बाग इन्दौर	शासकीय सेवा उपयंत्री
4	श्री दिनेश श्रीवास्तव	उपाध्यक्ष	ई–2/276, अरेरा कालोनी भोपाल	शासकीय सेवा
5	श्री मोहन आपटे	महासचिव	ई–4/354, अरेरा कालोनी भोपाल	शासकीय सेवा द्वि.श्रे.लि.
6	श्री अखिलेश श्रीवास्तव	सहसचिव	एफ–118/20, शिवाजी नगर भोपाल	शासकीय सेवा
7	श्री नीरज खरे	सहसचिव	जी–107/1, शिवाजी नगर भोपाल	शासकीय सेवा
8	श्री ए.एन विसोलकर	सहसचिव	द्वारा अधीक्षण यंत्री बरगी नहर मंडल सिंचाई विभाग बरगी हिल्स जबलपुर	शासकीय सेवा सहा. ज्योलाजिस्ट
9	श्री इशतियाक मीर	सहसचिव	द्वारा अधीक्षण यंत्री, सिंचाई मंडल कार्यालय जगदलपुर।	शासकीय सेवा नि.श्रे.लि.
10	श्री हरीश परिहार	प्रसार सचिव	जी–107/36, 1464 भोपाल	शासकीय सेवा नि.श्रे.लि.
11	श्री व्हाई.बी. जोशी	कोषाध्यक्ष	जी–6, सिंचाई कोलोनी भोपाल	शासकीय सेवा सहा.यंत्री
12	श्री मुइनुदुदीन कुरेशी	आंकेक्षक	70/18, साउथ टी.टी. नगर भोपाल	शासकीय सेवा नि.श्रे.लि.

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

5 सोसायटी के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उपधारा 1 के अधीन अपेक्षित है संलग्न है ।

हम अनेक व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे लिखे है समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है तथा ज्ञापन पत्र निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये है ।

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम पूर्ण पते पिता / पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	श्री निसार अहमद 45, लाला लाजपत राय कालोनी, दिलकुशा बाग भोपाल	Sd
2	श्री सत्येन्द्र कुमार दीक्षित मकान नं. 35, रवि शंकर शुक्ला मार्केट के ऊपर भोपाल	Sd
3	श्री प्रकाश यादव द्वारा दीपक लाहोरे, 11 / 1, राम बाग इन्दौर	Sd
4	श्री दिनेश श्रीवास्तव ई–2 / 276, अरेरा कालोनी भोपाल	Sd
5	श्री मोहन आपटे ई–4 / 354, अरेरा कालोनी भोपाल	Sd
6	श्री अखिलेश श्रीवास्तव एफ–118 / 20, शिवाजी नगर भोपाल	Sd
7	श्री नीरज खरे जी–107 / 1, शिवाजी नगर भोपाल	Sd
8	श्री ए.एन विसोलकर द्वारा अधीक्षण यंत्री बरगी नहर मंडल सिंचाई विभाग बरगी हिल्स जबलपुर	Sd
9	श्री इशतियाक मीर द्वारा अधीक्षण यंत्री, सिंचाई मंडल कार्यालय जगदलपुर।	Sd
10	श्री हरीश परिहार जी–107 / 36, 1464 भोपाल	Sd
11	श्री मुइनुदुदीन कुरेशी 70 / 18, साउथ टी.टी नगर भोपाल	Sd

सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 20954
रजिस्ट्रेशन की दिनांक 21-10-1988
डेट ऑफ फाईलिंग 01-4-2016

प्रमाणित प्रति
शुल्क रुपये 3 चालान नं. / रसीद न. 66535
दिनांक 13-4-16 द्वारा पटाया गया है। यह मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है।
जारी होने की दिनांक
सहायक के हस्ताक्षर
T. C.

साक्षी

हस्ताक्षर : Sd
नाम : आर.के. जैन
पता : एस.डी.ओ. एन–एस डेम, सब डिवीजन–3, भोपाल

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल
2-4-2016

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

58AA 633915

CANCELLED

दस्तावेज पत्र / ज्ञापन / नियम की प्रमाणित
प्रति के साथ संलग्न सहकारी/सोसाइटी संस्था
का नाम [illegible] वर्ग 3 भोपाल
पंजी. क्र. 20854 दिनांक 21-10-1988

सहायक के हस्ताक्षर

Mungly
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल
2-4-2016

13912
10
10-1-16

[illegible] भोपाल

नकल

Harish Kumar
Stamp Vendor
75, Malviya Nagar Bhopal

16 NOV 2013
भोपाल

[illegible] भोपाल

[illegible]

13912
108
10-1-16

Harish Kumar
Stamp Vendor
15, Malviya Nagar Bhopal

कोषालय, जिला कोषालय
10 NOV 2015
भोपाल

45/16
04/4/16

सोसायटी रजिस्ट्रेशन न. 20854
रजिस्ट्रेशन की दिनांक 21-10-1988
संशोधित नियमावली 01-4-2016
रजिस्ट्रार

नियमावली

1. समिति का नाम : मध्यप्रदेश सिंचाई विभाग स्पोटर्स क्लब भोपाल
2. समिति का कार्यालय : प्रमुख अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग तहसील हजूर, पुराना नर्मदा भवन, तुलसी नगर भोपाल
3. उददेश्य :– संस्था निम्न उददेश्यों की पूर्ति करेगी।

3.1 मध्यप्रदेश सिंचाई विभाग के अंतर्गत समस्त प्रकार के खेलकूद को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देना।

3.2 विभाग में सांस्कृतिक कार्यकमों का आयोजन।

3.3 खेल प्रतिभाओं/कलाकारों को यथोचित संरक्षण प्रदान करना।

3.4 सिंचाई विभाग अन्तर या राज्य स्तरीय अन्तर विभागीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन।

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव

[illegible] 20854
रजिस्ट्रेशन की दिनांक 21-10-1988
डेट ऑफ फाईलिंग 01-4-2016
रजिस्ट्रार

(4) कार्यक्षेत्र – संस्था का कार्यक्षेत्र समस्त मध्य प्रदेश होगा।

(5) सदस्यता – संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगे ।

5.1 संरक्षक सदस्य – संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपयें 500.00 (पांच सौ) या अधिक एक मुश्त देगा वह सस्था का संरक्षक सदस्य होगा । संरक्षक सदस्यों को क्लब के समस्त स्तर के चुनावो/निर्वाचन में मत देने का अधिकार आजीवन (मृत्युपर्यन्त) तक प्राप्त होगा परन्तु वह क्लब के संरक्षक/प्रदेश संयोजक पद के अतिरिक्त किसी अन्य पद पर नियुक्त नही किये जा सकेगे।

5.2 आजीवन सदस्य – जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये 200.00 (दो सौ) या अधिक देगा वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । ऐसे आजीवन सदस्य रूपये 300.00 (तीन सौ) या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकते है । आजीवन सदस्यों को विभागीय सक्रिय सेवा तक ही सभी प्रकार के चुनावों/निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। सेवानिवृत्ति उपरान्त उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जावेगी।

5.3 सम्मानीय सदस्य – संस्था की प्रान्तीय कार्यकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा अथवा कार्यकारणी की बैठको मे भाग ले सकते है परन्तु उनको मत देने का अधिकार नही होगा ।

(6) सदस्यता शुल्क – उपरोक्त नियम 5.1 से 5.2 के अंतर्गत सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्तियों को निर्धारित परिपत्र में आवेदन करना होगा और साथ में रूपये 25.00 (पच्चीस) प्रवेश शुल्क देना होगा जो वापस नही होगा।

(7) सदस्यता हेतू न्युनतम योग्यता : संस्था का सदस्य बनने हेतू किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है ।

7.1 वह मध्यप्रदेश जलसंसाधन विभाग में किसी भी पद और स्थापना में कार्यरत् हो ।
7.2 भारतीय नागरिक हों ।
7.3 आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
7.4 संस्था के नियमों के पालन करने की प्रतिज्ञा की हो ।
7.5 सद्‌चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

(8) सदस्यता की समाप्ति – संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :–

8.1 मृत्यु हो जाने पर ।
8.2 पागल हो जाने पर ।
8.3 सेवा से प्रथक्करण होने पर ।
8.4 संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 के अनुसार जमा न करने पर ।
8.5 त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर ।
8.6 चारित्रिक दोष होने पर।
8.7 संस्था के हितो और उददेश्यों के विपरीत आचरण अथवा अनुशासनहीनता करने पर इस बावत कार्यकारणी समिति की बैठक में निर्णय लेकर, उस व्यक्ति को लिखित में सूचना देनी होगी।

(9) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज : संस्था का एक सर्वोच्च मंडल होगा, जो कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कहलायेगा। इसमें निम्नलिखित पदेन विभाग अध्यक्ष होंगे :–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल, मुख्य ट्रस्टीज
2. सदस्य अभियांत्रिकी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल, मुख्य ट्रस्टीज
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग ट्रस्टीज
4. समस्त मुख्य अभियन्ता नर्मदा विकास प्राधिकरण ट्रस्टीज

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

[illegible] रजिस्ट्रेशन नं. 20854
रजिस्ट्रेशन की दिनांक 21-10-1988
डेट ऑफ फाईलिंग 01-4-2016

रजिस्ट्रार

:: ट्रस्टीज ::

1. समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य अभियंता, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मध्यप्रदेश

9.1 किसी विवाद इत्यादि की स्थिति में प्रान्तीय कार्यकारणी स्वंय विवाद की पूर्ण जानकारी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का भेजेगी। यदि प्रान्तीय कार्यकारणी के भीतर कुछ मतभेद इत्यादि हो, तो "बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज" यदि चाहे तो स्वंय प्रकरण की जानकारी मंगाकर अपनी बैठक में निर्णय ले सकने में समर्थ होगा। हर स्थिति में बोर्ड ट्रस्टीज का निर्णय सभी पक्षो, संस्था, व्यक्ति इत्यादि को मान्य होगा। इसके विरूद्ध कोई भी अपील, कार्यवाही इत्यादि का अधिकार किसी को नही होगा।

(10) संगठन एवं निर्वाचन : मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग स्पोर्टस क्लब के संगठन का आकार निम्न प्रकार होगा।

10.1 प्रान्तीय कार्यकारिणी :– इस का गठन राज्य स्तरीय साधारण अधिवेशन में किया जावेगा, जिसका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों को गणपूर्ति माना जावेगा। विभिन्न खेलों हेतु यह समिति अपने में से किसी सदस्य/पदाधिकारी को उस खेल का संयोजक नियुक्त कर सकेगी।

10.1 1प्रान्तीय कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारी एवं सदस्य होगे :–

प्रान्तीय अध्यक्ष	1 पद	सीधे निर्वाचन द्वारा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष	1 पद	सीधे निर्वाचन द्वारा
उपाध्यक्ष	6 पद	प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जावेगे।
प्रान्तीय महा सचिव	1 पद	––तदैव––
प्रान्तीय कार्यालयीन सचिव	1 पद	––तदैव––
प्रान्तीय अतिरिक्त महासचिव	2 पद	––तदैव––
प्रान्तीय संयुक्त सचिव	6 पद	––तदैव––
प्रान्तीय प्रचार सचिव	1 पद	––तदैव––
प्रान्तीय प्रचार सह सचिव–	2 पद	––तदैव––
प्रान्तीय कोषाध्यक्ष	1 पद	––तदैव––
प्रान्तीय सह कोषाध्यक्ष	1 पद	––तदैव––
प्रान्तीय वेब मैनेजर	1 पद	–– तदैव––
प्रान्तीय आंकेक्षक	1 पद	सीधे निर्वाचन द्वारा

कार्यकारिणी सदस्य प्रत्येक क्षेत्र से कम से कम 5 पद अध्यक्ष द्वारा मनोनीत
इसके अतिरिक्त भूतपूर्व प्रान्तीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महासचिव भी कार्यकारिणी के (ex. officio) सदस्य रहेगे।

10.1 2 इसके अतिरिक्त प्रान्तीय कार्यकारिणी किसी अवधि विशेष हेतु खेल मर्मज्ञ अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत कर सकेगी। जिनकी संख्या 7 से अधिक ना होगी। इन सदस्यों को बैठक में भाग लेने व परामर्श देने का अधिकार होगा परन्तु वे मत विभाजन में भाग नही ले सकेगे।

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव

सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 20854
रजिस्ट्रेशन की दिनांक 21-10-1988
डेट ऑफ फाइलिंग 01-4-2016

रजिस्ट्रार

10.1 3 प्रान्तीय कार्यकारिणी अपरिहार्य कारणों से 4 (चार) वर्ष की अवधि के बाद साधारण सभा की बैठक ना बुला सकने की स्थिति में एक प्रस्ताव पारित कर अपने कार्यकाल में छहः (6) माह की वृद्धि कर सकती है, जिसका अनुमोदन बाद में प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठक (साधारण सभा) द्वारा किया जावेगा। परन्तु इन छहः माह के भीतर निर्वाचन कराना ही होगा, यदि किन्ही कारणों से इन छहः (6) माह के भीतर भी निर्वाचन किन्ही अपरिहार्य कारणों से संभव नही हो, तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मंडल के पूर्व लिखित अनुमोदन से यह कार्यकाल और छहः (6) माह तक बढाया जा सकेगा। इसके बाद भी यदि निर्वाचन संभव नही हुआ तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मंडल द्वारा प्रान्तीय कार्यकारिणी को भंग कर अन्तरिम व्यवस्था कर सीधे निर्वाचन कराए जावेगें।

10.1 4 प्रान्तीय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों का निर्वाचन अथवा मनोनयन संरक्षक सदस्यों में से ही किया जावेगा । यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसा संभव नहीं हो पावे तो निर्वाचन/मनोनयन के एक माह के भीतर उन्हें संरक्षक सदस्यता धारण करना होगा । अन्यथा उन्हें पदच्युत माना जावेगा । इस प्रकार पदच्युत हुये व्यक्तियों को चार वर्षों तक किसी भी पद पर निर्वाचन अथवा मनोनयन की पात्रता नहीं होगी । इन क्लबों के कार्यकारिणी सदस्यों का इसी प्रकार आजीवन सदस्य होना अनिवार्य होगा ।

10.1 5 जिला एवं परियोजना क्लबों के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का धारा 10.1.(4) के प्रावधानों के अनुरूप आजीवन सदस्य होना अनिवार्य होगा ।

10.1 6 अन्तरविभागीय, अन्तरक्षेत्रीय, अन्तर जिला /परियोजना खेल प्रतियोगिताओं एवं अधिवेशनों में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों एवं सदस्यों को संरक्षक / आजीवन सदस्य होना अनिवार्य होगा । अधिवेशन / निर्वाचन में वोट देने का अधिकार समस्त संरक्षक/आजीवन सदस्यों को ही प्राप्त होगा । यदि जॉच में उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन होना पाया जावेगा तो संबंधित खिलाड़ी/सदस्य को अपात्र घोषित किया जाकर संबंधित क्लब के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी । निर्वाचन की घोषणा के बाद क्षेत्रीय/जिला/ परियोजना क्लब जो भी संरक्षक/ आजीवन सदस्य बनावेंगे तो उसकी राशि व सदस्यता प्रपत्र प्रान्तीय कोषाध्यक्ष/सह कोषाध्यक्ष को तत्काल इस प्रकार प्रेषित करेंगे कि प्रान्तीय कोषाध्यक्ष निर्वाचन की तिथि के एक सप्ताह पूर्व मताधिकार प्राप्त सदस्यों की सूची निर्वाचन हेतु नियुक्त पदाधिकारी / पर्यवेक्षक एवे संबंधित क्लब को प्रदाय कर सकें । प्रान्तीय कोषाध्यक्ष द्वारा जारी इस सूची के विरूद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जावेगी ।

10.1 6.1 प्रान्तीय अधिवेशन/निर्वाचन प्रकिया में समस्त मध्यप्रदेश के जल संसाधन / नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो कि मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग स्पोर्ट्स क्लब के संरक्षक /आजीवन सदस्य हैं को मत देने का अधिकार होगा । स्पोर्ट्स क्लब का मुख्यालय भोपाल में होने के कारण प्रान्तीय अधिवेशन / निर्वाचन यथासंभव भोपाल में ही कराये जावेंगे ।

10.1 6.2 क्षेत्रीय अधिवेशन/निर्वाचन प्रकिया में संबंधित क्षेत्र के जल संसाधन / नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो कि मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग स्पोर्ट्स क्लब के संरक्षक /आजीवन सदस्य हैं को मत देने का अधिकार होगा ।

10.2 क्षेत्रीय क्लब : क्लब को छः (6) क्षेत्रों में बाटा गया है, जो क्षेत्रीय (जोनल) क्लब कहलाएगे।

10.2 1 इन्दौर क्षेत्रः- इस का मुख्यालय इन्दौर / क्षेत्रीय अध्यक्ष की पदस्थापना अनुसार होगा और इसके अन्तर्गत इन्दौर, उज्जैन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, मंदसौर, शाजापुर, आगर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, रतलाम, खरगौन, धार, एवं नीमच जिले होगें।

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 20815
रजिस्ट्रेशन की तारीख 21-10-1988
डेट ऑफ फाइलिंग 01-4-2016

10.2 2 **जबलपुर क्षेत्रः**– इस का मुख्यालय जबलपुर/ क्षेत्रीय अध्यक्ष की पदस्थापना अनुसार होगा और इसके अन्तर्गत जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा , डिण्डोरी, सिवनी जिले होगे।

10.2 3 **भोपाल क्षेत्रः**– इस का मुख्यालय भोपाल/ क्षेत्रीय अध्यक्ष की पदस्थापना अनुसार होगा, और इसके अन्तर्गत भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, एवं राजगढ़ जिले होगे।

10.2 4 **ग्वालियर क्षेत्रः**– इस का मुख्यालय ग्वालियर/ क्षेत्रीय अध्यक्ष की पदस्थापना अनुसार होगा और इसके अन्तर्गत ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, मुरैना, श्योपुर, एवं भिण्ड जिले होगे।

10.2 4.1 **रींवा क्षेत्रः**– इस का मुख्यालय रींवा/ क्षेत्रीय अध्यक्ष की पदस्थापना अनुसार होगा, और इसके अन्तर्गत रींवा, सतना, शहडोल, सींधी, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, सिंगरौली, अनूपपुर एवं उमरिया जिले होगे।

10.2 4.2 **होशंगाबाद (नर्मदापुरम्) क्षेत्रः– इस का मुख्यालय होशंगाबाद/ क्षेत्रीय अध्यक्ष की पदस्थापना अनुसार होगा, और इसके अन्तर्गत होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जिले होगे।**

10.2 5 **क्षेत्रीय कार्यकारिणी समिति** : इस का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। इसमें इसके अन्तर्गत जिला/परियोजना क्लबों के सभी पदाधिकारी सम्मिलित होगे। क्षेत्र अन्तर्गत समस्त जिला/परियोजना क्लबो के संरक्षक/ आजीवन सदस्य मिलकर अपने में से किसी व्यक्ति को क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन करेगे। परन्तु निर्वाचित अध्यक्ष का क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत होना आवश्यक है। क्षेत्रीय कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों/सदस्यों का चयन जिला पदाधिकारियों/ कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा जिला पदाधिकारियों में से ही होगा।

10.2 6 **क्षेत्रीय कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारी/सदस्य होगेः–**

क्षेत्रीय अध्यक्ष	1 पद सीधे निर्वाचन द्वारा
उपाध्यक्ष	4 पद अध्यक्ष द्वारा मनोनीत
क्षेत्रीय सचिव	1 पद
क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष	1 पद
क्षेत्रीय प्रचार सचिव	1 पद
क्षेत्रीय सह सचिव	1 पद
क्षेत्रीय वेब मैनेजर	1 पद

कार्यकारिणी सदस्य : क्षेत्र अन्तर्गत समस्त जिला कार्यकारिणीयो के शेष पदाधिकारीगण।

10.2 7 क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय मुख्य ट्रस्टी एवं समस्त अधीक्षण यंत्री, क्षेत्रीय ट्रस्टी होंगे । यह पद पदेन होगा एवं प्रान्तीय ट्रस्टीज के अतिरिक्त होगा।

10.3 **जिला/परियोजना क्लब** : क्षेत्रीय क्लबों के अन्तर्गत समस्त जिलों एवं वृहद परियोजना स्थल पर जिला/परियोजना क्लब कार्यरत् होंगें । जिला एवं परियोजना क्लब समकक्ष होंगे, और परियोजना क्षेत्र छोड़कर जिले का भाग जिला क्लब के अन्तर्गत होगा । इनका दायित्व जिले/परियोजना के प्रत्येक स्तर पर, अर्थात् तहसील, उपसंभाग एवं ब्लाक स्तर पर भी क्लब की गतिविधियों को सुचारू रूप से सम्पन्न करते रहकर, विभाग के प्रत्येक सदस्य तक क्लब की गतिविधियों की जानकारी देना होगा । यह क्लब जनसम्पर्क के व्यापक सूत्रधार होंगे, और क्लब के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समर्पित होगें । इनके सकिय कियाकलापों पर ही प्रान्तीय/क्षेत्रीय क्लबों की प्रगति आधारित है ।

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

10.3 1 जिला/ परियोजना कार्य समिति :

इसका कार्यकाल दो वर्ष का होगा । इसके पदाधिकारियों का मनोनयन प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा क्षेत्रीय क्लबों के परामर्श /अनुशंसा से किया जावेगा । इस कार्यकारिणी में कुल 5 (पॉच) पदाधिकारी होगें ।

अध्यक्ष	1 पद
उपाध्यक्ष	1 पद
सचिव	1 पद
कोषाध्यक्ष	1 पद
प्रचार सचिव	1 पद

सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 20854
रजिस्ट्रेशन की दिनांक 21-10-1988
डेट ऑफ फाईलिंग 01-4-2016

इसके अतिरिक्त क्लब के अधीन क्षेत्र के समस्त कार्यालयों से यथासंभव एक-एक कार्यकारिणी सदस्य जिला/परियोजना समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त भूतपूर्व अध्यक्ष व सचिव भी (Exofficio) की हैसियत से कार्यकारिणी सदस्य होगें ।

रजिस्ट्रार

10.3 2 जिला परियोजना क्लब अपने क्षेत्रान्तर्गत किसी एक वरिष्ठ अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी को क्लब का मुख्य ट्रस्टी एवं ट्रस्टी घोषित करेंगे । यह पद नाम से न होकर पदेन होगा ।

11. कार्य कारिणी एवं पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार :

11.1 **प्रान्तीय कार्यकारिणी** : इस समिति के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार होगे :

11.1 1 जिन उददेश्यों की प्राप्ती हेतू समिति का गठन हुआ है उस की पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु समस्त व्यवस्थाये करना।

11.1 2 पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षीत किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

11.1 3 इसकी साधारण सभा में आगामी करने वाले कार्यो की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आगामी बजट साधारण सभा से स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करना।

11.1 4 अन्य आवश्यक कार्य अपने विवेक से उददेश्यों की पूर्ति हेतु करना।

11.1 5 साधारण सभा द्वारा समय–समय पर दिए हुए कार्यो को करना।

11.1 6 संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति प्रान्तीय कार्यकारिणी के नाम रहेगी।

11.1 7 संस्था की कोई भी अचल सम्पत्ति बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अनुमति बगैर बेची या हस्तांन्तरित नही की जा सकेगी। समस्त अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण या विकय की सूचना पंजीयन फर्म एवं सोसाइटीज को देना आवश्यक होगा।

11.1 8 प्रान्तीय कार्यकारिणी अपनी विशेष बैठक में संस्था के नियमोपनियम (विधान) में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष अथवा सामान्य बैठक में इसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के 2/3 अथवा अधिक मतो से ही संशोधन स्वीकृत किया जाकर किया गया संशोधन क्लब की उच्चाधिकार समिति को भेजा जावेगा । उच्चाधिकार समिति से अनुमोदन उपरान्त उक्त संशोधन को लागू किया जाकर उपयोग में लाया जा सकेगा। इस की सूचना पंजीयक फर्मस एंड सोसायटीज को नियमानुसार देनी होगी।

11.1 9 कार्यकारिणी क्षेत्रीय क्लबों/ जिला क्लबों को सकिय बनाए रखने हेतु समस्त प्रकार के अधिकारों से सम्पन्न होगी।

यह कार्यकारिणी अपने अन्तर्गत समस्त क्लबों के द्वारा समय–समय पर की गई त्रुटियों (वित्तीय नहीं) को जो कि नियमों की अनभिज्ञता के कारण होना प्रतीत हो, परन्तु क्लब के उद्देश्यों के प्रतिकूल न हो, को अपनी स्वीकृति प्रदान कर नियमित कर सकेगी । परन्तु बार–बार यह स्थिति न आवे इसका स्मरण (समस्त प्रकार से) वह इन क्लबों को करायेगी ।

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

सोसायटी रजिस्ट्रेशन क्र. 20854
दि. 21-8-1988
07-4-2016
रजिस्ट्रार
इट ऑफ फा

अपने अन्तर्गत समस्त क्लबों के पदाधिकारियों को अनुशासन बनाए रखने हेतु प्रेरित करगी, और अनुशासनहीनता अथवा क्लब के उद्देश्यों के विपरीत आचरण करने वाले पदाधिकारी के विरूद्ध समस्त प्रकार की कार्यवाही करने में सक्षम होगी । यदि कोई पदाधिकारी/क्लब इस विपरीत आचरण का दोषी पाया जाएगा, तो उसे **(चाहे वह निर्वाचित हो)** पदच्युत/भंग किया जा सकेगा, और इसकी लिखित सूचना उसे, उनके विभागाध्यक्ष, प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन /सदस्य अभियांत्रिकी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, जल संसाधन, सामान्य प्रशासन विभाग (खेल प्रकोष्ठ) व संचालक म. प्र. खेल एवं युवक कल्याण खेल संचालनालय को आवश्यकतानुसार दे सकेगी । इसके अतिरिक्त किसी निश्चित अवधि के लिये उस पदाधिकारी/क्लब को निलंबित करने का अधिकार भी इसे प्राप्त होगा । खिलाड़ियों/सदस्यों पर भी इस प्रकार की कार्यवाही करने हेतु यह कार्यकारिणी पूर्ण रूप से सक्षम होगी ।

यह कार्यकारिणी क्षेत्रीय क्लबों के निर्वाचन हेतु निर्देश देने के पश्चात् समयसीमा के भीतर निर्वाचन न हो सकने की स्थिति में, समयसीमा बीतने के पश्चात् प्रान्तीय अध्यक्ष से इन क्लबों के पदाधिकारियों के पदों पर योग्य कर्मचारियों/ अधिकारियों के मनोनयन हेतु निवेदन करेगी । इस प्रकार मनोनीत क्षेत्रीय / जिला कार्यकारिणी वैद्य एवं अपने पूर्ण कार्यकाल या निश्चित अवधि के लिये, या अग्रिम आदेश तक कार्यरत् रहेगी, और अपने क्षेत्र/जिला के अधीन समस्त प्रकार के (नियमोपनियम के अधीन) कार्य करने के अधिकारों से सम्पन्न होगी ।

11.1 10 शासन विभागाध्यक्षें से क्लब के उददेश्यों की पूर्ति हेतु पत्राचार, साक्षात्कार इत्यादि का उत्तरदायित्व भी कार्यकारिणी का होगा।

11.2 प्रान्तीय पदाधिकारियो के अधिकार एवं कर्तव्य :

11.2 1 **अध्यक्ष** : अध्यक्ष साधारण सभा तथा कार्यकारिणी समिति की समस्त बैठको की अध्यक्षता करेगा तथा महासचिव द्वारा साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकों का आयोजन करवाएगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा। क्लब के शीर्ष शिष्ट मंडलों इत्यादि के नेतृत्व का कार्य भी अध्यक्ष का होगा। यह पद संस्था का शीर्ष गरिमामय पद है, और प्रान्तीय अध्यक्ष संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उनके हितार्थ समस्त प्रकार के अधिकारों से सम्पन्न होगा ।

प्रान्तीय अध्यक्ष का क्लब हित में क्लब के संगठनात्मक कार्यो आपसी समन्वय स्थापित करने हेतु किसी निश्चित अवधि के लिये किसी समर्पित कार्यकर्त्ता को क्लब के समन्वयक बना सकेगा । प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

11.2 2 **वरिष्ठ उपाध्यक्ष** : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपरोक्त वर्णित समस्त कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त समय–समय पर अध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले हर कार्य को करना भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष का कर्तव्य होगा। संगठन की सम्पूर्ण गतिविधियों हेतु वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अध्यक्ष प्रान्तीय कार्यकारिणी एवं साधारण सभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा। यह उपाध्यक्षो, संयुक्त सचिवों का संगठन सम्बन्धी कार्य आवंटित करेगा।

11.2 3 **उपाध्यक्ष** : यह संगठनात्मक पद है । यह वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा आवंटित किन्ही भी एक क्षेत्रों के संगठनात्मक समस्त कार्यो को सम्पादित करेगा। इस कार्य हेतु इसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष (महासचिव के परामर्श से) एक सह सचिव उपलब्ध कराएगा। उपाध्यक्ष प्रान्तीय समिति को प्राप्त धारा 11.1 (8) के अन्तर्गत अधिकारों का अपने विवेक से उपयोग कर सकेगा। उपाध्यक्ष जिस क्षेत्र के प्रभारी होगें उनको संबंधित क्षेत्र के समस्त खेल गतिविधियों एवं क्षेत्र की

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

संस्था की रजिस्ट्रेशन न. 20854
रजिस्ट्रेशन की दिनांक 21-10-1988
डेट ऑफ फाईलिंग 01-4-2016
4

समस्त जानकारीयों से प्रान्तीय क्लब को अवगत करायेगा । अन्तरक्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में वह पूर्ण रूप से प्रान्तीय क्लब की ओर से आयोजक होगा। रजिस्ट्रार

11.2 4 **महासचिव** : यह संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। इसके निम्नलिखित कर्तव्य/अधिकार है :–

11.2 4.1 साधारण सभा की बैठक समय–समय पर बुलाना इसकी लिखित सूचना बैठक के 3 सप्ताह पूर्व देनी आवश्यक होगा।

11.2 4.2 प्रान्तीय कार्यकारिणी की समय–समय पर बैठक बुलाना, और आवश्यकता अनुरूप अध्यक्ष/वरिष्ठ उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार बैठकों का एजेन्डा तैयार करना।

11.2. 4.3 प्रान्तीय कार्यकारिणी/साधारण सभा की बैठकों का संचालन करना।

11.2 4.4 बैठकों में समस्त प्राप्त आवेदनों या सुझावों को प्रस्तुत करना।

11.2 4.5 समिति का आय व्यय का लेखा परीक्षण के प्रतिवेदन तैयार करना, एवं साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

11.2 4..6 समिति के सारे कागजों को तैयार करना एवं करवाना/इनका परीक्षण करना या त्रुटियां/अनियमताओं से तुरन्त कार्यकारिणी को अवगत कराना।

11.2 4..7 महासचिव को कार्य करने हेतु एक समय में रू0 500 (पॉच सौ) अग्रिम रखने का अधिकार होगा।

11.2 4.8 महासचिव अपने समस्त कार्यो के लिए कार्यकारिणी एवं साधारण सभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा।

11.2 4.9 महासचिव समय–समय पर संगठनात्मक एवं प्रचार की गतिविधियॉ की समीक्षा वरिष्ठ उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार कर के कार्यकारिणी की बैठकों में प्रस्तुत करेगा।

11.2 4.10 समिति की ओर से समस्त पत्राचार जहां तक संभव हो महासचिव की ओर से किया जावेगा।

11.2 4 अ **अतिरिक्त महासचिव :** इन्हें वे सब कर्तव्य एवं अधिकार प्राप्त होगें, जो कि महासचिव के हैं । इनका पालन वे महासचिव अथवा प्रान्तीय अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार संस्था के हित में करेंगे । वे अपने कार्यों हेतु प्रांन्तीय अध्यक्ष एवं महासचिव के प्रति उत्तरदायी रहेंगे ।

11.2 4 ब **कार्यालयीन सचिव :** यह प्रान्तीय अध्यक्ष /महासचिव के निर्देशन में कलब के प्रान्तीय कार्यालय से संबंधित कार्यो का सम्पादन करेगा । इसके अतिरिक्त वह क्लब की चल–अचल सम्पत्ति का ब्यौरा रखेगा । वह प्रान्तीय क्लब की ओर से आवश्यक्तानुसार पत्राचार करेगा, एवं क्लब के विभिन्न पदाधिकारियों में सामंजस्य बनाए रखेगा । इन्हें वे सब कर्तव्य एवं अधिकार प्राप्त होगें, जो कि महासचिव के हैं । इनका पालन वे महासचिव अथवा प्रान्तीय अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार संस्था के हित में करेंगे । वे अपने कार्यों हेतु प्रांन्तीय अध्यक्ष एवं महासचिव के प्रति उत्तरदायी रहेंगे । क्लब के कार्यालयीन अभिलेखों का संधारण । नस्तियों को व्यवस्थित रखना एवं महासचिव के निर्देशानुसार पत्राचार इत्यादि का कार्य ।

11.2 5 **संयुक्त सचिव :**

11.2 5.1 यह धारा 11.2(2) एवं 11.2. (3) के अन्तर्गत आवंटित क्षेत्र के समस्त संगठनात्मक कार्यो के हेतु उत्तरदायी रहेगा। उसके अन्तर्गत क्षेत्र एवं उस क्षेत्र अंतर्गत समस्त जिला क्लबों से पत्राचार एवं कार्यकारिणी द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन कराने का उत्तरदायी होगा।

11.2 5.2 वह अपने समस्त कार्य उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार सम्पादित करेगा एवं प्रान्तीय उपाध्यक्ष के कार्यों में सहयोग करेगा।

अध्यक्ष   कोषाध्यक्ष   सचिव

[illegible] 20859
रजिस्ट्रेशन का [illegible] 21-10-1988
डेट ऑफ फाईलिंग......01-4-2016
रजिस्ट्रार

11.2 6 कोषाध्यक्ष ¿1

11.2 6.1 यह संस्था के समस्त वित्तीय आय, व्यय का हिसाब रखेगा।

11.2 6.2 हर तिमाही के उपरान्त आय व्यॅय पत्रक कार्यकारिणी की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगा। साधारण सभा की वार्षिक बैठकों के पूर्व यह वर्ष के आय व्यय का समस्त ब्यौरा बना कर महासचिव से परीक्षण करा कर तैयार करेगा, ताकि साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत कर उस का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

11.2 6.3 वार्षिक आय–व्यय के अंकेक्षण हेतु यह समस्त रिकार्ड आंकेक्षक को प्रस्तुत करेगा।

11.2 6.4 आगामी बजट की रूपरेखा एवं निर्धारण एवं प्रस्तुतीकरण की जबावदारी भी कोषाध्यक्ष की होगी, जो यह कार्यकारिणी के निर्देशानुसार करेगा।

11.2 6.5 कोषाध्यक्ष अपने पास संस्था का रू 1000.00 नगद रखेगा, ताकि महासचिव को कार्य हेतु रू0 500.00 दिया जा सके, एवं आकास्मिक व्यय किए जा सकें।

11.2 7 **आंकेक्षक** : यह संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण कर, हर वर्ष का लेखा–जोखा किसी मान्य चाटर्ड अकाऊन्टेन्ट से सत्यापित करा कर, पंजीयक फर्म सोसाइटीज एवं कार्यकारिणी या साधारण सभा में प्रस्तुत करेगा।

11.2 8 **प्रचार सचिव** : यह संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समस्त प्रचार, प्रसार हेतु उत्तरदायी रहेगा। इस कार्य हेतु यह समय–समय पर कार्यकारिणी एवं प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा निर्देश प्राप्त करता रहेगा, और तदानुसार कार्यवाही करेगा ।

11.2 8.2 यह समय पर कार्यकारिणी अथवा अध्यक्ष की सलाह पर पत्रकार सभा बुलाकर प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा।

11.2 9 **प्रान्तीय प्रचार सह– सचिव** : प्रान्तीय प्रचार सचिव की अनुपस्थिति में प्रान्तीय अध्यक्ष, महासचिव एवं प्रचार सचिव द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार कार्य संपादित करेंगे ।

11.2 10 **सह – कोषाध्यक्ष** : प्रान्तीय कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त संबंधित उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे । साथ ही प्रान्तीय अध्यक्ष/ कोषाध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्य संपादित करेंगे ।

11.2 11 **वेब मैनेजर** : प्रान्तीय अध्यक्ष/महासचिव द्वारा जारी किये समस्त पत्रों/आदेशों को ई–मेल के माध्यम से समस्त पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय /जिला समितियों को भेजना । ई–मेल पर प्राप्त पत्रों की हार्ड कॉपी निकाल कर निराकरण हेतु अध्यक्ष/महासचिव को प्रस्तुत करना । क्लब की वेब साइड के निर्माण कार्य हेतु आवश्यक जानकारियॉं प्राप्त कर अध्यक्ष के साथ सलाह मशविरा कर उसपर निर्णय करना इत्यादि ।

11.3 **क्षेत्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य** :

11.3 1 **क्षेत्रीय अध्यक्ष** : यह क्षेत्रीय कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। क्षेत्रीय विषयक विचारार्थ विषयों में इसका मत निर्णायक रहेगा।

11.3 2 **क्षेत्रीय उपाध्यक्ष** : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह अध्यक्ष के समस्त उत्तरदायित्वों कों निभाएगा। अक्ष्यक्ष द्वारा दिए गए कार्यो को सम्पन्न करेगा।

11.3 3 **क्षेत्रीय सचिव** : क्षेत्रीय सचिव के निम्नलिखित कर्त्तव्याधिकार है :–
क्षेत्रीय कार्यकारिणी की बैठक समय–समय अध्यक्ष के निर्देशानुसार बुलाना/ बैठकों का संचालन करना। प्रान्तीय कार्यकारिणी के समय–समय पर प्राप्त निर्देशों को कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत करना एवं तदानुसार संभागीय क्लबों कों निर्देश देना। क्षेत्रीय समिति की ओर से समस्त पत्राचार करना।

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

11.3 4 **क्षेत्रीय सह–सचिव** : यह सचिव के कार्य में उसके निर्देशानुसार सहायता करेगा। सचिव की अनुपस्थिति में सहसचिव उसके समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेगा।

11.3 5 **क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष** : यह अपने अन्तर्गत समस्त जिला परियोजना क्लबों से क्षेत्र का अंशदान एकत्रित कर इसका एवं क्षेत्रीय समिति के आय–व्यय का लेखा जोखा रखेगा, जिसे वह क्षेत्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्तुत कर अनुमोदन के पश्चात इस का व्यौरा प्रान्तीय कोषाध्यक्ष को भेजेगा। यह क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय कार्यकारिणी के निर्देश में समस्त आय व्यय के कार्य सम्पन्न करेगा।

11.3 6 **क्षेत्रीय प्रचार सचिव** : यह प्रचार प्रसार के समस्त कार्य क्षेत्रीय अध्यक्ष/सचिव एवं कार्यकारिणी के निर्देशन में करेगा।

11.3 7 **क्षेत्रीय वेब मैनेजर** : अध्यक्ष /सचिव द्वारा जारी किये समस्त पत्रों /आदेशों को ई–मेल के माध्यम से समस्त पदाधिकारियों एवं प्रान्तीय /जिला समितियों को भेजना । ई–मेल पर प्राप्त पत्रों की हार्ड कॉपी निकाल कर निराकरण हेतु अध्यक्ष / सचिव को प्रस्तुत करना ।

11.4 जिला /परियोजना क्लब की कार्यकारिणी के अधिकार व कर्तव्यः–

11.4 1 **अध्यक्ष** : वह कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करेगा, और विचारार्थ विषयों में उसका मत निर्णायक रहेगा ।

11.4 2 **उपाध्यक्ष** : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेगा व उसे पूर्ण जानकारी देगा।

11.4 3 **सचिव** : यह जिला/परियोजना क्लब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अध्यक्ष के निर्देशानुसार क्लब के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धारा 10.4 में उल्लेखित समस्त प्रयास करेगा । कार्यकारिणी की बैठक की सूचना (कम से कम एक माह में एक बार) देने व बैठक का एजेन्डा अध्यक्ष के निर्देशानुसार तैयार करेगा । प्रान्तीय /क्षेत्रीय क्लबों के आदेशों /निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेगा । बैठक की कार्यवाही की रिर्पोट अपने समस्त वरिष्ठ क्लबों को तत्काल प्रेषित करेगा ।

11.4 4 **कोषाध्यक्ष** : वह क्लब के सदस्य बनाकर, उसका यथोचित रिकार्ड रखेगा । वह अध्यक्ष के निर्देशन में प्रत्येक तीसरी करर्यकारिणी में वित संबंधित लेखा–जोखा प्रस्तुत करेगा, क्षेत्रीय व प्रान्तीय क्लब को, धारा 13.10 के अनुसार देय वित्तीय अशंदान प्रत्येक तिमाही को, उन्हें प्रेषित करेगा ।

11.4 5 **प्रचार सचिव** : क्लब के कियाकलापों व उद्देश्यों को प्रचारित – प्रसारित करेगा, एवं अध्यक्ष व सचिव के निर्देशन में समस्त प्रचार–प्रसार व अन्य कार्य करेगा ।

12. साधारण सभा की बैठक एवं अधिकार :–

12.1 **आयोजन** : म.प्र. जल संसाधन विभाग स्पोटर्स क्लब की 3 साधारण सभाए होगी। प्रथम प्रान्तीय दूसरी क्षेत्रीय एवं तृतीय जिला/परियोजना । यह बैठक वर्ष में एक बार होगी। प्रान्तीय बैठको में हर चौथे वर्ष अन्य प्रस्तावों के निराकरण के अतिरिक्त निर्वाचन भी होगा। क्षेत्रीय बैठको में हर तीसरे वर्ष अन्य प्रस्तावों के निराकरण के अतिरिक्त निर्वाचन भी होगा। इसके अतिरिक्त निम्न स्थितियों में कभी भी साधारण सभाओं की बैठक बुलाने का अधिकार प्रान्तीय अध्यक्ष को होगा ।

12.1 1 पूर्ण कार्यकारिणी किसी गम्भीर एवं अतिआवश्यक विषय के अनुमोदनार्थ सर्वसम्मति से इस हेतु प्रस्ताव पारित करने पर।

सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 20854/
रजिस्ट्रेशन की दिनांक 21-10-1988
डेट ऑफ फाईलिंग 07-4-2016

12.1 2 प्रान्तीय साधारण सभा हेतु 51 जिला समितियो में 2/3 अर्थात 38 द्वारा इस हेतु प्रस्ताव पारित कर प्रान्तीय कार्यकारिणी से लिखित में निवेदन करने की स्थिति में।

12.1 3 क्षेत्रीय साधारण सभा हेतु क्षेत्रीय एवं क्षेत्रान्तर्गत समस्त जिला /परियोजना समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर क्षेत्रीय अध्यक्ष /सचिव से लिखित में निवेदन करने की स्थिति में

12.1 4 जिला समिति की साधारण सभा बुलाने हेतु इसके अन्तर्गत न्यूनतम 50 (पचास) सदस्यों के लिखित अनुरोध पर ।

12.2 अधिकार एवं कर्तव्य : साधारण सभा क निम्न अधिकार/कर्तव्य होगे–

12.2 1 समिति के पिछले वर्ष का वार्षिक प्रगति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
12.2 2 संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।,
12.2 3 समिति द्वारा समपन्न आय व्यय के पत्रकों की स्वीकृति।
12.2 4 बजट का अनुमोदन करना।
12.2 5 कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लेना।
12.2 6 अपनी ओर से संस्था को गतिशील बनाने हेतु कार्यकारिणी को दिशा निर्देश देना।

12.3 **बैठकों की दिनांक, स्थान व समय का निर्धारण** :–
प्रान्तीय अध्यक्ष / अध्यक्ष के निर्देशानुसार महासचिव/सचिव बैठक का स्थान, समय व दिनांक निर्धारित करेगा। प्रान्तीय क्षेत्रीय एवं जिला साधारण सभा की बैठकों हेतु कमशः एक माह पूर्व प्रान्तीय अध्यक्ष की अनुमति से महासचिव सचिव द्वारा लिखित सूचना देनी होगी।

12.4 कोरम : साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों को ही गणपूर्ति माना जावेगा।

13. वित्त : संस्था मुख्य रूप में सदस्यों के शुल्क एवं कीडा प्रेमी अधिकारियों/व्यक्तियों के दान से संचालित होगी।

13.1 विभिन्न समितियों के अंशदान : सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क, आजीवन/संरक्षक सदस्यता शुल्क प्रान्तीय समिति को देय होगा। प्रान्तीय समिति आजीवन/संरक्षक सदस्यता शुल्क को यथा संभव व्यय ना करके बैंक में इसे सुरक्षित रखेगी। क्लब के होने वाले पत्राचार इत्यादि अन्य आवश्यक व्ययों को बैंक से जमा राशि पर प्राप्त ब्याज से संचालित करेगी । यदि किसी विशेष परिस्थिति में प्राप्त ब्याज से अधिक व्यय की संभावना हो तो इसकी अनुमति बैठक में बजट पारित कराकर बैंक में जमा राशि से व्यय किया जा सकेगा ।

13.1 1 प्रान्तीय क्लब को दान के रूप में प्राप्त राशि यथासंभव बैंक में रखी जाकर क्लब हित में ही व्यय की जा सकेगी । क्षेत्रीय/जिला एवं परियोजना क्लब को दान के रूप में राशि प्राप्त करती है तो वे तीनों इसके चौथाई अंश प्राप्त करने के अधिकारी होंगे । व इसका एक हिस्सा प्रान्तीय क्लब में जमा करना होगा ।

14. **पदाधिकारियों के सेवा निवृत्ति/ सेवा से निष्कासन/त्यागपत्र/मृत्यु के फलस्वरूप रिक्तियों को भरने के नियम।**

14.1 प्रान्तीय समिति : अध्यक्ष का पद रिक्त होने की दिशा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेष अवधि के लिए अध्यक्ष का पद ग्रहण करेगा और वह उपाध्यक्षों मे से किसी एक को कार्यकारिणी के परामर्श से वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत करेगा। अध्यक्ष शेष रिक्त पदो को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के परामर्श से नामांकित करेगा। अस्तु अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर यह व्यवस्था इस प्रकार निर्मित स्थिति के पश्चात् आगामी निर्वाचन की प्रकिया तक रहेगी ।

अध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
सचिव

२०८५४ 20854
रजिस्ट्रेशन की दिनांक 21-10-1988
डेट ऑफ फाईलिंग 01-4-2016

M

14.2 **क्षेत्रीय समिति** : अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर शेष अवधि के लिये उपाध्यक्ष इस पद को ग्रहण करेगा । अध्यक्ष इस प्रकार रिक्त हुये उपाध्यक्ष के पद एवं अन्य पदों को कार्यकारिणी के परामर्श से नामांकित करेगा ।

14.3 **जिला/ परियोजना समिति** : रिक्त होने पर शेष अवधि के लिए उपाध्यक्ष इस पद को गृहण करेगा। अध्यक्ष इस प्रकार रिक्त हुए उपाध्यक्ष के पद एवं अन्य पदों को कार्यकारिणी के परामर्श से नामांकित करेगा।

15.1 **लेखा–जोखा** : सभी समितियो क्लब की धनराशि की प्राप्ती के तत्काल बाद अपने मुख्यालय पर स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा करेगी। खाता क्लब के नाम से होगा। राशि निकालने हेतु चैक बुक का प्रयोग अनिवार्य होगां । प्रान्तीय समिति के लिए प्रान्तीय अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से खाता खोला जा सकेगा और इनके हस्ताक्षरों को अध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है। व्यय हेतु राशि प्रान्तीय अध्यक्ष /महासचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से निकाली जा सकेगी। क्षेत्रीय/जिला/ परियोजना समिति के लिए भी उपरोक्त प्रणाली प्रयोग में लाई जावेगी और सचिव (चूकि क्षेत्रीय/जिला/परियोजना समितियो में महासचिव का पद नही है) एवं कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षरो से राशि निकाली जा सकेगी।

15.2 क्लब की पूर्ण वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रयोग में लाने की जवाबदारी विशेषतः प्रान्तीय अध्यक्ष/ अध्यक्ष, महासचिव अथवा सचिव/कोषाध्यक्ष एवं सामान्यतः कार्यकारिणी की होगी।

15.3 प्रान्तीय समिति समस्त वित्तीय अधिकार/नियंत्रण क्षेत्रीय/जिला परियोजना समितियों पर रखेगी और इस दिशा में प्रान्तीय कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी/अध्यक्ष के परामर्श से इस प्रकार की समस्त कार्यवाही/व्यवस्था करेगा।

15.4 समस्त आय व्यय का लेखा जोखा प्रान्तीय आंकेक्षक के आंकेक्षण कराने के पश्चात किसी चाटर्ड अकाउन्टेन्ट से परीक्षण के पश्चात हर वर्ष पंजीयक को भेजा जावेगा और साधारण सभा द्वारा अनुमोदित कराया जावेगा।

15.5 समस्त आय व्यय का लेखा जोखा निर्धारित प्रकिया के अनुसार केश बुक इत्यादि के साथ हर समिति द्वारा रखा जावेगा।

16. यह नियमोपानियम क्लब द्वारा दिनांक 12/8/88 द्वारा लागू किए गए है और इस में संशोधन नियम 11.1 (8) के अन्तर्गत क्लब के हित में किया जा सकता है। उक्त संशोधन कराये जाने हेतु प्रान्तीय अध्यक्ष पूर्ण रूप से अधिकृत होंगे । उपरोक्त संशोधन आमसभा में पारित होने के उपरान्त उच्चाधिकार समिति को भेजना होगा जिसके अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त उक्त संशोधन किया जा सकेगा ।

17. **विघटन** : म.प्र. सिचाई विभाग स्पोटर्स क्लब एवं उस की कार्यकारिणी समितियों निम्न प्रकार से विघटित की जा सकेगी।

17.1 **सम्पूर्ण स्पोटर्स क्लब** : इस के लिए प्रान्तीय साधारण सभा की बैठक में 3/4 मतों से निर्णय किया जाना आवश्यक है। उपस्थित सदस्यों को ही गणपूर्ति माना जावेगा। इस हेतु बैठक बुलाने हेतु न्यूनतम छः मे से 4 क्षेत्रीय समितियॉं एवं 51 में से 38 जिला समितियॉं द्वारा प्रस्ताव पारित कर प्रान्तीय कार्यकारिणी को भेजा जाना अनिवार्य होगा। प्रान्तीय समिति इस के पश्चात अपनी कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव पर विचार कर साधारण सभा की बैठक हेतु अधिसूचना कम से कम एक माह पूर्व जारी करेगी।

सोसा[illegible] 20854
रजिस्ट्रेशन की दिनांक 21-10-1985
डेट ऑफ फाइलिंग 01-4-2016

17.2 1 **प्रान्तीय कार्यकारिणी :–** प्रान्तीय कार्यकारिणी अपनी बैठक में यदि 2/3 मतों से विघटन का प्रस्ताव स्वीकार करने के पश्चात इसे एक अधिसूचना द्वारा समस्त समितियों को इसकी सूचना देते हुए एक प्रान्तीय साधारण सभा की बैठक बुलाएगी। विघटन हेतु साधारण सभा की बैठक में प्रतिस्वीकृती लेने पर उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक होगा। तत्पश्चात इसी साधारण सभा में नवीन पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जायेगा, और उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा।

17.2 2 प्रान्तीय कार्यकारिणी पदाधिकारी/सदस्यों की पदच्युति अनुशासनहीनता, अकर्मठता, अक्रियाशीलता हेतु ही संभव होगी। इस हेतु (निर्वाचित पदाधिकारियों को छोड़कर) प्रान्तीय अध्यक्ष स्वयं सक्षम होगा, परन्तु इस कार्यवाही की पूर्व पुष्टि प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठक में साधारण बहुमत से प्राप्त करनी आवश्यक है।

17.3 1 **क्षेत्रीय कार्यकारिणी :–** इस हेतु क्षेत्रीय कार्यकारिणी अपने बैठक में 2/3 मतों से निर्णय लेगी। चूंकि क्षेत्रीय कार्यकारिणी में समस्त जिला / परियोजना पदाधिकारी है, अतएव विघटन के साथ–साथ ही नवीन कार्यकारिणी का निर्वावन भी इसी बैठक में किया जायेगा। इस का कार्यकाल भी शेष अवधि के लिए होगा।

17.3 2 **क्षेत्रीय पदाधिकारी :–** क्षेत्रीय पदाधिकारी की पदच्युति भी प्रान्तीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों के समान धारा 17.2 (2) के अनुसार संभव हो सकेगी। इस के अन्तर्गत अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी आयेंगे। परन्तु किसी विशेष परिस्थिति में निर्वाचित पदाधिकारियों का भी धारा 11.1(9) के अन्तर पदच्युत कर कार्यकारिणी भंग की जा सकेगी।

17.4 1 **सामान्य :** प्रान्तीय /क्षेत्रीय/ जिला/ परियोजना कार्यकारिणी के निर्वाचित पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्यकारिणी के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा अविश्वास संबंधी लिखित सूचना महासचिव/सचिव को देने पर तत्काल कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जावेगी । यदि कार्यकारिणी 3/4 अथवा अधिक बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत करेगी तब साधारण सभा की बैठक बुलाकर इसकी पुष्टि हेतु उपस्थित सदस्यों का 2/3 सदस्यों के बहुमत से स्वीकृति के पश्चात् नवीन पदाधिकारियों का तुरन्त निर्वाचन किया जावेगा, जिसका कार्यकाल शेष अवधि के लिये होगा ।

17.4 2 जिला/ परियोजना कार्यकारिणी पदाधिकारी : यदि पाँचों पदाधिकारी अपनी कार्यकारिणी की बैठक में पूर्व घोषित एजेण्डा के अनुसार, सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुये विघटन संबंधी प्रस्ताव पारित कर प्रान्तीय/क्षेत्रीय/ समिति को लिखित में सूचित करेंगे, तो प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा धारा 10.4.1 के अन्तर्गत, अन्य योग्य कर्मचारीयों/ अधिकारियों को रिक्त पदों पर मनोनीत करेगा ।

18 **संरक्षक :** क्लब की गतिविधियों में समर्पित एवं कुशल नेतृत्व वाले स्पोर्ट्स क्लब के वरिष्ठ सदस्य को क्लब का संरक्षक प्रान्तीय कार्यकारिणी के अनुमोदन उपरान्त नियुक्त किया जा सकेगा । यथासंभव पूर्व प्रान्तीय अध्यक्ष इस संरक्षक पद पर नियुक्त किये जावेंगे (अनिवार्य नही) । परन्तु ऐसी स्थिती न होने पर प्रान्तीय कार्यकारिणी सर्वसम्मति से योग्य एवं खेलों में समर्पित संरक्षक सदस्य चाहे वह सेवानिवृत्त हो को इस पद पर नियुक्त कर सकेगी । इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा । समयावधि में वृद्धि प्रान्तीय कार्यकारिणी के अनुमोदन से की जा सकेगी ।

18.1 संरक्षक का पद ट्रस्टी के समतुल्य होगा ।

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

18.2 प्रान्तीय अध्यक्ष / महासचिव क्लब की गतिविधियों की जानकारी से संरक्षक को यथा समय अवगत करायेगे ।

19 **प्रदेश संयोजक :** क्लब की गतिविधियों में समर्पित एवं कुशल नेतृत्व वाले स्पोर्ट्स क्लब के वरिष्ठ सदस्य को क्लब का प्रदेश संयोजक प्रान्तीय कार्यकारिणी के अनुमोदन उपरान्त नियुक्त किया जा सकेगा । यथासंभव पूर्व प्रान्तीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इस प्रदेश संयोजक पद पर नियुक्त किये जावेंगे (अनिवार्य नही) । परन्तु ऐसी स्थिती न होने पर प्रान्तीय कार्यकारिणी सर्वसम्मति से योग्य एवं खेलों में समर्पित संरक्षक सदस्य को इस पद पर नियुक्त कर सकेगी । इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा । समयावधि में वृद्धि प्रान्तीय कार्यकारिणी के अनुमोदन से की जा सकेगी ।

19.1 प्रदेश संयोजक का पद ट्रस्टी के समतुल्य होगा ।

19.2 प्रान्तीय अध्यक्ष / महासचिव क्लब की गतिविधियों की जानकारी से प्रदेश संयोजक को यथा समय अवगत करायेगे ।

२०८५४
रजिस्ट्रेशन की दिनांक 21-10-1988
डेट ऑफ फाईलिंग 01-4-2016
रजिस्ट्रार

20. **उच्चाधिकार समिति :** उच्चाधिकार समिति सात सदस्यसीय होगी। जो कि निम्नानुसार है :

1.	श्री अखिलेश श्रीवास्तव	संस्थापक सदस्य	अध्यक्ष
2.	श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव	——तदैव——	सदस्य
3	श्री मुईनउद्दीन कुरैशी	संस्थापक सदस्य	सदस्य
4	श्री अजय तायल	संरक्षक सदस्य	सदस्य
5	श्री संतोष जोशी	संरक्षक सदस्य	सदस्य
6	श्री चन्द्रकान्त जाउलकर	संरक्षक सदस्य	सदस्य
7	श्री अरविन्द कुशवाहा	संरक्षक सदस्य	सदस्य

20.1 **कार्यकाल :** उपरोक्त उच्चाधिकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल आजीवन (मृत्यु पर्यन्त) होगा । उक्त सदस्यों में से कोई पद (दिवंगत होने से) रिक्त होने की स्थिति में प्रान्तीय कार्यकारिणी सर्वसम्मति से एक संरक्षक सदस्य को उक्त रिक्त पद पर मनोनीत कर सकेगी । जिसका कार्यकाल आजीवन होगा ।

20.2 **कर्तव्य :** यह समिति स्पोर्ट्स क्लब के नियमों में परिवर्तन /संशोधन अनुशासनहीनता के कारण किसी भी पदाधिकारी /सदस्य को पदच्यूति करने हेतु पूर्ण रूप से सक्षम होगी ।

20.2 1 प्रान्तीय कार्यकारिणी द्वारा कोई भी नवीन नियम / नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्रान्तीय कार्यकारिणी से अनुमोदन पश्चात् उच्चाधिकार समिति को प्रस्तुत करेगी । उच्चाधिकार समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव का क्लब हित में अनुमोदन उपरान्त प्रान्तीय कार्यकारिणी को वापस भेजेगी । जिसके उपरान्त प्रान्तीय कार्यकारिणी उक्त नियम / संशोधन को लागू कर सकेगी । जिसकी विधिवत सूचना पंजीयक फमर्स को भेजकर नियमानुसार शुल्क जमा कर अनुमोदन प्राप्त करेगी ।

प्रमाणित प्रति
रुपये ——— चालान नं. ———
——— द्वारा पटाये जाने के लिए मूल
की सत्यापित प्रति है ।
की दिनांक ———
सहायक के हस्ताक्षर

20.3 उच्चाधिकार समिति के सदस्य ट्रस्टी के समतुल्य होगें ।

Mangla

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

58AA 633916

CANCELLED

प्रमाण पत्र / ज्ञापन/ [illegible] की प्रमाणित
प्रति के साथ संलग्न स्टाम्प पेपर संस्था
का नाम म.प्र. [illegible] सिलाई [illegible] वेलफेयर / भोपाल
पंजी. क्र. 20854 दिनांक 21-10-1988

सहायक के हस्ताक्षर

Mangly
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
[illegible] म.प्र., भोपाल
2-4-2016

13913
10
10-1-16

[illegible] [illegible] [illegible] भोपाल

[illegible]

Harish Kumar
Stamp Vendor
75, Malviya Nagar Bhopal

जिला कोषालय
10 NOV 2015
भोपाल